S.O./Steno Examination
2006, 2007 & 2008

No. 2553

C-FB-KD-AQCJ

NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING

Time Allowed : Two Hours

Maximum Marks : 100

INSTRUCTIONS

Each question is printed both in Hindi and in English.

Answers must be written in the medium of English or Hindi as specified in the Admission Certificate issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer-book in the space provided for the purpose. No credit will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Certificate.

The number of marks carried by each question is indicated at the end of the question.

Note : *The name of your office or your name, roll number or address must not be disclosed while writing the answers.*

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपा है ।

1. Make a précis of the following passage in about 210 words and suggest a title for it : 35

The concept of local self government is not new to our country and there is mention of community assemblies in the Vedic texts. Around 600 B.C., the territory north of the river Ganga, comprising modern day north Bihar and eastern U.P. was under the suzerainty of small republics called Janapadas among which Lichhavis were the most powerful. In these Janapadas, the affairs of the State were conducted by an assembly consisting of local chieftains. In the post Mauryan times as well, there existed republics of Malavas and the Kshudrakas, where decisions were taken by "sabhas". The Greek Ambassador, Megasthenes, who visited the court of Chandragupta Maurya in 303 B.C. described the City Council which governed Pataliputra – comprising six committees with 30 members. Similar participatory structures also existed in South India. In the Chola Kingdoms, the village council, together with its sub-committees and wards, played an important part in administration, arbitrated disputes and managed social affairs. They were also responsible for revenue collection, assessing individual contribution and negotiating the collective assessment with the King's representative. They had virtual ownership of village waste land, with right of sale, and they were active in irrigation, road building and related works. Their transactions, recorded on the walls of village temples, show a vigorous community life and are a permanent

1. निम्नलिखित लेखांश का लगभग 210 शब्दों में सारलेख बनाइए और उसके लिए एक शीर्षक भी सुझाइए : *35*

स्थानीय स्वशासन की संकल्पना हमारे देश के लिए कोई नई नहीं है और वेदकालीन ग्रंथों में सामुदायिक सभाओं का उल्लेख है । ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, गंगा नदी से उत्तर का प्रदेश जो आधुनिक उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जनपद नामक छोटे-छोटे गणराज्यों के अधिराजत्व के अधीन था जिनमें लिच्छवी सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे । इन जनपदों में, राज्य का कामकाज एक ऐसी सभा के द्वारा संचालित होता था, जिसमें स्थानीय मुखिया शामिल होते थे । उत्तर मौर्य काल में भी, मालवा और क्षुद्रकों के गणराज्य विद्यमान थे, जिनमें "सभाओं" के द्वारा निर्णय लिए जाते थे । यूनानी राजदूत मेगस्थिनीज़ ने, जो ईसा पूर्व 303 में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, पाटलिपुत्र का शासन करने वाली नगर परिषद् का वर्णन किया था – जिसमें 30 सदस्यों वाली छः समितियाँ थीं । दक्षिण भारत में भी इसी के समान सहभागी संरचनाएँ विद्यमान थीं । चोल राज्यों में, अपनी उप-समितियों और वार्डों सहित, ग्राम परिषद् प्रशासन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी, विवादों में मध्यस्थता करती थी और सामाजिक मामलों का प्रबंधन करती थी । वे राजस्व वसूली, व्यक्तिगत अंशदान के आकलन और राजा के प्रतिनिधि के साथ मिलकर सामूहिक आकलन के लिए वार्ता करने के लिए भी उत्तरदायी थीं । ग्राम्य बंजर भूमि पर उनका विक्रय के अधिकार सहित व्यावहारिक रूप से मालिकाना होता था । वे सिंचाई, सड़क निर्माण और सम्बन्धित कार्यों में सक्रिय थीं । ग्राम मंदिरों की दीवारों पर अंकित उनके लेनदेन एक सशक्त सामुदायिक जीवन दर्शाते हैं

memorial to the best practices in early Indian polity. The present structure of Local Self Government institutions took shape in 1688 when the British established a Municipal Corporation at Madras which was followed by creation of similar bodies at Bombay and Calcutta (1726). Comprising a Mayor and a majority of British-born Councillors, these Corporations were basically units of administration enjoying considerable judicial powers. During the next 150 years, municipal bodies were created in several *mufasil* towns although their functions remained confined to conservancy, road repairs, lighting and a few other sundry items.

In 1872, Lord Mayo introduced the system of elected representatives for these municipalities and this was further developed by his successor, Lord Ripon, in 1882. By the 1880s, these urban municipal bodies had a pre-dominance of elected representatives in a number of cities and towns, including Calcutta and Bombay. A corresponding effective structure for rural areas came up with the enactment of the Bengal Local Self Government Act, 1885 which led to the establishment of district local boards across the entire territory of the then Bengal province. These boards comprised nominated as well as elected members with the District Magistrate as Chairman, and were responsible for maintenance of rural roads, rest houses, roadside lanes and properties, maintenance and superintendence of public schools, charitable

और वे प्राचीन भारतीय राज्यतंत्र में सर्वश्रेष्ठ रीतियों का एक स्थायी स्मारक भी हैं । स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की वर्तमान संरचना ने 1688 में जब अंग्रेज़ों ने मद्रास में नगर निगम की स्थापना की और उसके बाद बम्बई और कलकत्ता में भी इसी के समान निकायों का सृजन किया (1726), वर्तमान रूप धारण किया । एक महापौर और ब्रिटेन में जन्मे पार्षदों की बहुसंख्या से रचित ये निगम बुनियादी रूप से प्रशासन की ऐसी इकाइयाँ थीं, जिनके पास यथेष्ट न्यायिक शक्तियाँ थीं । अगले 150 वर्षों के दौरान, अनेक *मुफ़स्सिल* नगरों में नगरपालिकाएँ बनाई गईं यद्यपि उनके प्रकार्य सफाई, सड़क मरम्मत, रोशनी करना और कुछ अन्य फुटकर मदों तक ही सीमित रहे ।

1872 में लॉर्ड मेयो ने इन नगरपालिकाओं के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों की प्रणाली का शुभारंभ किया और इस प्रणाली को उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने 1882 में और आगे विकसित किया । 1880 के दशक तक, इन शहरी नगरपालिकाओं में, कलकत्ता और बम्बई समेत अनेक शहरों और कस्बों में, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वाधिकता हो गई थी । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसके अनुरूप प्रभावी संरचना बंगाल स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1885 के अधिनियमन के साथ उभर कर सामने आई । इसके फलस्वरूप तत्कालीन बंगाल प्रांत के संपूर्ण प्रदेश में ज़िला स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई । इन बोर्डों में मनोनीत और साथ-साथ निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे और ज़िला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होता था । ये बोर्ड ग्रामीण सड़कों, विश्राम-गृहों, सड़क किनारे की गलियों और संपत्तियों का अनुरक्षण करने, और सरकारी स्कूलों, परोपकारी दवाख़ानों और पशुचिकित्सा अस्पतालों का अनुरक्षण और अधीक्षण करने के

dispensaries and veterinary hospitals. Within a span of five years, a large number of district boards came into existence in other parts of the country, notably Bihar, Orissa, Assam and North-West Province. The Minto-Morley Reforms, 1909 and the Montague Chelmsford Reforms, 1919, when Local Self Government became a transferred subject, widened the participation of people in the governing process and, by 1924 – 25, district boards had a preponderance of elected representatives and a non-official Chairman. This arrangement continued till the country's Independence in 1947 and thereafter till the late 1950s.

The debates in the Constituent Assembly indicate that the leaders at that time were hesitant to introduce a wholesale change in the then prevailing administrative system and as a compromise, it was agreed that Panchayati Raj Institutions would find place in the Directive Principles of State Policy (Part IV, Article 40) which, *inter alia,* provides that the State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. But there was a general view that local government institutions would be creatures of the State Legislature and hence there was no whittling down of the powers of the State Government.

लिए जिम्मेदार थे । पाँच सालों के अंदर, देश के अन्य भागों, विशेषकर बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर-पश्चिम प्रांत, में बड़ी संख्या में ज़िला बोर्डों की स्थापना हुई । मिंटो-मोर्ले सुधार, 1909 और मौंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, 1919 के फलस्वरूप जब स्थानीय स्वशासन एक अंतरित विषय बन गया था, शासन के प्रक्रम में लोगों की सहभागिता का विस्तार हुआ और 1924 – 25 तक, ज़िला बोर्डों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बाहुल्य और एक ग़ैर-सरकारी अध्यक्ष का प्रचलन हो गया । यही व्यवस्था 1947 में देश की स्वतंत्रता और उसके बाद 1950 के दशक के अंत तक चलती रही ।

संविधान सभा में हुए वाद-विवाद दर्शाते हैं कि उस समय के नेतागण उस समय प्रचलित प्रशासनिक तंत्र में अंधाधुंध परिवर्तन चालू करने से हिचकिचा रहे थे और मध्यम मार्ग के रूप में, उनके बीच सहमति हुई कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (भाग IV, अनुच्छेद 40) में स्थान दिया जाए । अन्य बातों के साथ-साथ उसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन करने के लिए कदम उठाएगा, तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगी । परन्तु एक सामान्य मत यह था कि स्थानीय शासन संस्थाएँ राज्य विधान-मंडल की सृष्टि होंगी । अतएव राज्य सरकार की शक्तियों की कोई कटौती नहीं की गई थी ।

2. Draft communications as required : 20

Shri ABC, resident of Shram Nagar, New Delhi, has sought information under the Right to Information Act, 2005, from the Central Public Information Officer (CPIO) of the Department of Telecommunications regarding (i) the total broadband subscriber base in the country as on 31.8.2010 and (ii) the progress of implementation of the National e-Governance Plan (NeGP). The Department of Telecommunications holds information only on the first point (total broadband subscriber base as on 31.8.2010 as 10·08 million). However the NeGP is being administered by the Department of Information Technology.

In this background, prepare the following drafts on behalf of the Central Public Information Officer of the Department of Telecommunications :

(a) A response in letter form, addressed to Shri ABC giving the information available with the Department and indicating that the other part of information is not held by them and that the application is being transferred to the CPIO, Department of Information Technology; and

(b) a letter to the CPIO, Department of Information Technology transferring the application to them clearly specifying the part of the information sought, which pertains to them and indicating that the fee specified under the RTI Act, 2005 has been received in the Department of Telecommunications, and marking a copy of the communication to the applicant.

2. आवश्यकतानुसार निम्नलिखित मसौदों को तैयार कीजिए : 20

श्रम नगर, नई दिल्ली के निवासी श्री क ख ग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन दूरसंचार विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) से (i) 31.8.2010 को देश में कुल ब्रौडबैंड ग्राहक संख्या और (ii) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) के कार्यान्वयन की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी माँगी है । दूरसंचार विभाग के पास केवल प्रथम बिन्दु (31.8.2010 को कुल ब्रौडबैंड ग्राहक संख्या 1 करोड़ 8 लाख थी) पर जानकारी है, परन्तु एन.ई.जी.पी. का प्रशासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है ।

इस पृष्ठभूमि में, दूरसंचार विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की ओर से निम्नलिखित के मसौदे तैयार कीजिए :

(क) श्री क ख ग को पत्र के रूप में एक अनुक्रिया, जिसमें विभाग में उपलब्ध जानकारी दे दी गई हो और यह भी बता दिया गया हो कि जानकारी का दूसरा भाग उनके पास नहीं है और कि उनके आवेदन को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सी.पी.आई.ओ. को अंतरित किया जा रहा है; और

(ख) सी.पी.आई.ओ., सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एक पत्र जिसमें उनको आवेदन का अंतरण करने के साथ-साथ स्पष्ट रूप में उनसे सम्बन्धित माँगी गई जानकारी का उल्लेख हो और साथ ही यह भी सूचित किया गया हो कि आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अधीन निर्दिष्ट फीस दूरसंचार विभाग में प्राप्त कर ली गई है और इस पत्र की एक प्रति को आवेदक को भी चिह्नित कर दिया जाए ।

3. Attempt any ***three*** of the following : *15×3=45*

(a) A doubt has arisen whether a clause in the approved draft agreement pertaining to toll road concessionaires can be amended when certain related aspects of the agreement have been challenged by an unsuccessful bidder before the appropriate court of law. Draft an inter-departmental reference from the Ministry of ABC, Government of India to the Ministry of Law, Government of India, seeking their advice in the matter.

(b) The Government of India has created a dedicated non-lapsable fund called the Central Road Fund (CRF) from the collection of cess on petrol and high speed diesel oil. The CRF is administered by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRT&H). The CRF is to be applied *inter alia* towards the development of rural roads and the development and maintenance of other State roads including roads of inter-State and economic importance, under Section 7 of the Central Road Fund Act, 2000. Fresh disbursement of funds to State Governments is contingent upon furnishing of utilization certificates for amounts previously disbursed. You have noticed during review that the off-take of funds by most State Governments is poor, and the main reason appears to be the non-furnishing of utilization certificates and the

3. निम्नलिखित में से किन्हीं ***तीन*** के उत्तर दीजिए : *15×3=45*

(क) एक संदेह पैदा हुआ है कि क्या टोल रोड़ रियायतियों के साथ अनुमोदित मसौदा करार की एक धारा में, जबकि किसी असफल बोलीकर्ता ने समुचित न्यायालय में करार की उस धारा से सम्बन्धित पक्षों को चुनौती दी हो, संशोधन किया जा सकता है। भारत सरकार के क ख ग मंत्रालय से इस मामले में सलाह माँगते हुए, भारत सरकार के विधि मंत्रालय के लिए, एक अंतराविभागीय पत्राचार का मसौदा तैयार कीजिए ।

(ख) भारत सरकार ने पेट्रोल और उच्च रफ़्तार डीज़ल तेल पर उपकर की उगाही से केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) नाम की एक समर्पित अ-व्यपगमनी निधि बनाई है । सी.आर.एफ. का प्रशासन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हाथ में है । केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 7 के अधीन, सी.आर.एफ. को अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण सड़कों के विकास और अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्त्व की सड़कों सहित अन्य राजकीय सड़कों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए लागू किया जाना है । राज्य सरकारों को नए संवितरण, पूर्व में संवितरित की गई राशियों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर अवलंबित होते हैं । समीक्षा के दौरान आपने पाया है कि अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा निधियों की उठाई अपर्याप्त है, और कि इस बात का प्रमुख कारण उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करना और उसके परिणामस्वरूप बाद के परियोजना प्रस्तावों का अननुमोदित हो जाना प्रतीत होता है । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

consequent non-approval of subsequent project proposals. Draft a demi official letter from the Secretary, MoRT&H to the Chief Secretaries of State Governments drawing their attention to this aspect of the problem and seeking their cooperation in improving the disbursements under CRF.

(c) Consider the following data related to the exports of some principal commodities :

(₹ in crore)

Item	Quarter I 2009 – 10	Quarter I 2010 – 11	Percent growth
	April – June 2009	April – June 2010	
(1)	(2)	(3)	(4) = Column 3 / Column 2
Textiles	30318·53	31425·72	3·65
Gems and jewellery	42097·26	47620·06	13·12
Chemicals and related products	34613·47	43244·46	24·94
Engineering goods	52812·05	67234·64	27·31
Petroleum products	30414·36	53326·13	75·33

Prepare a short note (in about 250 words) highlighting the significant aspects of the export performance of these commodities in the first quarter of 2010 – 11 as compared to that in the corresponding period of 2009 – 10.

मंत्रालय के सचिव की ओर से राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजने के लिए एक अर्ध-शासकीय पत्र का मसौदा तैयार कीजिए, जिसमें समस्या के इस पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया गया हो और सी.आर.एफ. के अधीन संवितरणों को बढ़ाने में उनके सहयोग की माँग की गई हो ।

(ग) कुछ प्रमुख पण्यों के निर्यात से सम्बन्धित निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए :

(₹ करोड़ में)

मद	तिमाही I 2009 – 10	तिमाही I 2010 – 11	प्रतिशत संवृद्धि
	अप्रैल – जून 2009	अप्रैल – जून 2010	
(1)	(2)	(3)	(4) = कॉलम 3 / कॉलम 2
कपड़ा	30318·53	31425·72	3·65
मणि और आभूषण	42097·26	47620·06	13·12
रसायन और संबंधित उत्पाद	34613·47	43244·46	24·94
इंजीनियरी सामान	52812·05	67234·64	27·31
पेट्रोलियम उत्पाद	30414·36	53326·13	75·33

एक संक्षिप्त टिप्पणी (लगभग 250 शब्दों में) तैयार कीजिए, जिसमें 2010 – 11 की पहली तिमाही के दौरान 2009 – 10 की तदनुरूप अवधि के मुकाबले इन पण्यों के निर्यात निष्पादन के प्रमुख पक्षों को उजागर किया गया हो ।

(d) It has been stipulated in the Central Civil Service (Leave) Rules [CCS (Leave) Rules] that wilful absence from duty after the expiry of leave, renders a government servant liable to disciplinary action. Shri ABC, Assistant, Department of XYZ, has been absent without leave from 01.12.2010. Draft an order, dated 22.12.2010, informing him of the proposal to take action against him under Rule 16 of the Central Civil Services (Classification, Control, and Appeal) Rules 1965 and giving him an opportunity to make such representation as he wishes to make against the proposed action.

(घ) केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली [सी.सी.एस. (लीव) रूल्स] में अनुबंध किया गया है कि छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थिति सरकारी कर्मचारी को अनुशासनिक कार्रवाई के संभावनीय बना देती है । एक्स वाई जेड विभाग के सहायक श्री ए बी सी छुट्टी के बिना 01.12.2010 से अनुपस्थित रहे हैं । तारीख 22.12.2010 के एक ऐसे आदेश का मसौदा तैयार कीजिए जिसमें उसको सूचित किया गया हो कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 के नियम 16 के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और कि उनको प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अपनी इच्छानुसार अभिवेदन करने का एक अवसर दिया जाता है ।

C-FB-KD-AQCJ

टिप्पणी और मसौदा लेखन, सार लेखन

समय : दो घण्टे

पूर्णांक : 100

अनुदेश

प्रत्येक प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपा है ।

प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक प्रश्न के अंत में दिए गए हैं ।

टिप्पणी : *आपका तथा आपके कार्यालय का नाम, अनुक्रमाङ्क अथवा पता प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अज्ञात रहना चाहिये ।*

Note : *English version of the Instructions is printed on the front cover of this question paper.*